"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 अप्रैल 2016— वैशाख 8, शक 1938

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-116/तीन (दो)/न.पा./व्यय लेखा/2015/511 रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2016

सुनीता ताम्रकार, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत, गण्डई, जिला राजनांदगांव, छ.ग.

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अंतर्गत)
पारित दिनांक 11 अप्रैल 2016

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), राजनांदगांव के प्रतिवेदन दिनांक 11 फरवरी 2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत गण्डई के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2014-जनवरी 2015 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 2 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 4 जनवरी 2015 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), राजनांदगांव ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 11 फरवरी 2015 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत गण्डई के आम निर्वाचन 2014 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी सुनीता ताम्रकार द्वारा नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), राजनांदगांव के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी सुनीता ताम्रकार को दिनांक 16 अप्रैल 2015 को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना जारी कर सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निर्वाचन लड़ने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी सुनीता ताम्रकार को दिनांक 29 अप्रैल 2015 को सम्यक् रूप से तामील की गई.

4. कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अभ्यर्थी द्वारा अपना जवाब दिनांक 11 मई 2015 को आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 4 जनवरी 2015 को परिणाम की घोषणा के पश्चात् 30 दिवस के अन्दर निर्वाचन व्यय का लेखा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) राजनांदगांव को प्रस्तुत किया जाना था किन्तु स्वास्थ्यगत कारणों से दिनांक 18 फरवरी 2015 को प्रस्तुत कर पाई. समय पर निर्वाचन लेखा प्रस्तुत नहीं कर 14 दिवस विलंब से प्रस्तुत किया. इस गलती के लिए उन्होंने क्षमा मांगते हुए निर्वाचन लेखा स्वीकार करने का निवेदन किया.

5. अभ्यर्थी के जवाब के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) राजनांदगांव का अभिमत प्राप्त किया गया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित दिनांक 3 फरवरी 2015 तक निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया जाकर विलंब से दिनांक 18 फरवरी 2015 को दाखिल किया गया. अभ्यर्थी स्वास्थ्य खराब होने की दशा में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से निर्धारित समयावधि के अन्दर प्रस्तुत कर सकती थी परन्तु उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के अंदर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं कर अधिनियम की धारा 32 ग का उल्लंघन किया गया है. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा विलंब से लेखा दाखिल किया जा चुका है. उनके द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कार्रवाई समाप्त करने की अनुशंसा भी की गई है.

6. प्रकरण में अभ्यर्थी को समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उसे दिनांक को आयोग कार्यालय में आहूत किया गया. अभ्यर्थी का शपथपूर्वक बयान लिपिबद्ध किया. अभ्यर्थी ने शपथपूर्वक बयान में यह उल्लेख किया कि वे दिनांक 1 फरवरी 2015 को अस्वस्थ हो गई थी. सामुदायिक केन्द्र गण्डई के डॉ. सी. एच. उपाध्याय से उपचार कराया था. डॉक्टर द्वारा उन्हें 15 दिवस के बेड-रेस्ट की सलाह दी गई थी. तदनुसार उन्होंने बेड-रेस्ट किया तथा स्वस्थ होते ही दिनांक 18 फरवरी 2015 को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर दिया था. उनके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गण्डई के रोगी पर्ची दिनांक 1-2-2015, 2-2-2015 एवं 12-2-2015 तथा चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गण्डई, जिला राजनांदगांव, (छ.ग.) के द्वारा जारी चिकित्सक का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है.

7. प्रकरण से सम्बन्धित सभी सुसंगत अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), राजनांदगांव ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी सुनीता ताम्रकार ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

"धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा- प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना- अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 3 फरवरी 2015 तक प्रस्तुत करना था.

8. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), राजनांदगांव के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपंचायत गण्डई के आम निर्वाचन 2014 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी सुनीता ताम्रकार ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल नहीं किया. अभ्यर्थी ने उनको जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब तथा शपथपूर्वक बयान में उल्लेख किया कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण निर्धारित समयावधि में दिनांक 3 फरवरी 2015 तक निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं कर पाई तथा स्वस्थ होते ही दिनांक 18 फरवरी 2015 को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर दिया था. अभ्यर्थी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गण्डई के रोगी पर्ची दिनांक 1-2-2015, 2-2-2015 एवं 12-2-2015 तथा चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गण्डई, जिला राजनांदगांव, (छ.ग.) के द्वारा जारी चिकित्सक का प्रमाण-पत्र भी अपने जवाब एवं कथन की पुष्टि में प्रस्तुत किया गया. उक्त दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी सुनीता ताम्रकार अस्वस्थ थी. स्वस्थ होने पर उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर दिया गया है.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), राजनांदगांव द्वारा प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कार्रवाई समाप्त करने की अनुशंसा भी की गई है. प्रकरण में चिकित्सकीय प्रमाण पत्र एवं रोगी पर्ची से यह स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी की मंशा अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख के उल्लंघन करने की नहीं थी. उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में जो विलंब हुआ है वह उनके स्वास्थ्यगत विवशता के कारण हुआ है. अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अस्वस्थता के कारण अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहने हेतु दर्शाये गये कारण स्वीकारयोग्य है. इसके अतिरिक्त उनके द्वारा स्वस्थ होते ही निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर भी दिया गया. वे स्वास्थ्यगत कारणों से निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुत करने के लिए न्यायोचित्यता रखती है. अत: प्रकरण में आगे कार्रवाई की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती. तदनुसार प्रकरण समाप्त किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

9. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 11 अप्रैल 2016 को जारी किया गया.

हस्ता./-
(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.